

प्रश्न: अनुच्छेद 13 का क्या अर्थ है?

उत्तर:

भारतीय संविधान का अनुच्छेद 13 न्यायिक पुनरीक्षण (Judicial Review) से संबंधित है। यह न्यायपालिका को यह अधिकार देता है कि वह विधायिका (Legislature) द्वारा बनाए गए प्रत्येक कानून और संविधान संशोधन की समीक्षा कर सके। न्यायपालिका को संविधान का रक्षक या संवैधानिक संरक्षक माना गया है।

लंबे समय तक विधायिका ने संविधान संशोधनके नाम पर न्यायपालिका के अधिकारों को सीमित करने की कोशिश की, परंतु न्यायपालिका ने विभिन्न ऐतिहासिक निर्णयों के माध्यम से यह स्पष्ट कर दिया कि संसद को संविधान संशोधन करने की व्यापक शक्ति तो है, लेकिन वह संविधान की मूल संरचना (Basic Structure) को नष्ट या परिवर्तित नहीं कर सकती।

संविधान की मूल संरचना उसकी रीढ़ की हड्डी (Backbone) है, जिसे किसी भी प्रकार के संशोधन से बदला नहीं जा सकता। न्यायिक पुनरीक्षण (Judicial Review) स्वयं संविधान की मूल संरचना का एक आवश्यक अंग है।

इस प्रकार अंतिम स्थिति यह है कि न्यायपालिका को यह अधिकार प्राप्त है कि वह विधायिका द्वारा बनाए गए सभी कानूनों और संशोधनों की समीक्षा करे और यदि वे मौलिक अधिकारोंया संविधान की मूल संरचना का उल्लंघन करते हैं तो उन्हें निरस्त (strike down) कर दे।

संविधान की प्रस्तावना (PREAMBLE OF THE CONSTITUTION OF INDIA)

हम भारत के लोग, भारत को एक सम्पूर्ण प्रभुत्व-संपत्ति, समाजवादी, पंथ-निरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को :

न्याय – सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक;

स्वतंत्रता – विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की;

समता – स्थिति और अवसर की; प्राप्त करने के लिए; और उन सब में

बंधुता सुनिश्चित करने के लिए जिससे व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित हो;

दृढ़ संकल्प होकर,

हम अपनी इस संविधान सभा में आज दिनांक 26 नवम्बर, 1949 ई. (मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी, संवत् दो हजार छह) को
यह संविधान अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं।

संदर्भित प्रमुख खाद (Reference Cases): • Sajjan Singh v. State of Rajasthan (1965), • Golak Nath v. State of Punjab (1967, 11 न्यायाधीशों की पीठ), • Kesavananda Bharati v. State of Kerala (1973, 13 न्यायाधीशों की पीठ)

• Sajjan Singh v. State of Rajasthan (1965) – सर्वोच्च न्यायालय ने विचार किया कि क्या संसद मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकती है।

• Golak Nath v. State of Punjab (1967, 11 न्यायाधीशों की पीठ) – निर्णय हुआ कि संसद मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं कर सकती।

• Kesavananda Bharati v. State of Kerala (1973, 13 न्यायाधीशों की पीठ) – ऐतिहासिक निर्णय जिसमें कहा गया कि संसद संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है, परंतु संविधान की मूल संरचना को नष्ट नहीं कर सकती।

इन सभी मामलों में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि संविधान की रीढ़ (Backbone) को किसी भी प्रकार से नष्ट नहीं किया जा सकता।

और बैकबोन है प्रेम्ब्ले में दिए हुए अधिकार।

प्रश्न: न्यायपालिका को संविधान की रक्षा करने का अधिकार किन अनुच्छेदों से प्राप्त होता है?

उत्तर: **13 (Void), 32 “हृदय और आत्मा (Heart and Soul)”, 137 पुनः समीक्षा (Review), 226 उच्च न्यायालयों को रिट जारी करने का अधिकार**

न्यायपालिका को संविधान की रक्षा और संरक्षण करने का अधिकार मुख्यतः निम्नलिखित अनुच्छेदों से प्राप्त होता है—

• अनुच्छेद 13 – यह न्यायिक पुनरीक्षण का प्रावधान करता है। यदि कोई कानून मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है तो वह शून्य (Void) माना जाएगा।

• अनुच्छेद 32 – यह नागरिकों को यह अधिकार देता है कि वे सीधे सर्वोच्च न्यायालय में जाकर अपने मौलिक अधिकारों के संरक्षण की मांग कर सकें। डॉ. बी.आर. अम्बेडकर ने इसे संविधान का “हृदय और आत्मा (Heart and Soul)” कहा था।

• अनुच्छेद 137 – यह सर्वोच्च न्यायालय को अपने स्वयं के निर्णयों या आदेशों की पुनः समीक्षा (Review) करने की शक्ति देता है।

Article 13

- अनुच्छेद 226 – यह उच्च न्यायालयों को रिट जारी करनेका अधिकार देता है ताकि वे मौलिक अधिकारों और अन्य विधिक अधिकारों की रक्षा कर सकें।

इस प्रकार इन अनुच्छेदों के माध्यम से न्यायपालिका यह सुनिश्चित करती है कि कोई भी कानून, संशोधन या कार्यवाही मौलिक अधिकारों का उल्लंघन न करे और संविधान की मूल संरचना अक्षण्ण बनी रहे।

Q. What is the meaning of Article 13?

Answer:

Article 13 of the Indian Constitution is about *Judicial Review*. It gives power to the judiciary to review every law and constitutional amendment passed by the legislature. The judiciary is considered the *protector or legal guardian* of the Constitution.

For a long time, the legislature tried to overrule the judiciary in the name of constitutional amendments. However, the judiciary, through various landmark judgments, held that although Parliament has wide power to amend the Constitution, it cannot alter or destroy its **basic structure**.

The *basic structure* is the backbone of the Constitution, and it cannot be changed by any mode of amendment. Judicial review itself is considered one of the essential features of the basic structure.

Therefore, the final position is that the judiciary has the authority to review all laws and amendments passed by the legislature and strike them down if they violate Fundamental Rights or the basic structure of the Constitution.

Reference Cases:

- *Sajjan Singh v. State of Rajasthan* (1965) – Supreme Court discussed whether Parliament could amend Fundamental Rights.
- *Golak Nath v. State of Punjab* (1967, 11 Judges Bench) – It was held that Parliament cannot amend Fundamental Rights.
- *Kesavananda Bharati v. State of Kerala* (1973, 13 Judges Bench) – The landmark judgment where the Supreme Court held that Parliament can amend any part of the Constitution but cannot destroy its **Basic Structure**.

In all these cases honourable by the supreme court held that the back bone of the constitution can't be destroy by any means.

Q. From which Articles does the judiciary derive the power to protect the Constitution?

Answer:

The judiciary derives its power to protect and safeguard the Constitution mainly from the following Articles:

- **Article 13** – Provides for *judicial review* of laws. Any law violating Fundamental Rights is void.
- **Article 32** – Empowers individuals to directly approach the Supreme Court for the enforcement of Fundamental Rights. Dr. B.R. Ambedkar called it the "*heart and soul of the Constitution*."
- **Article 137** – Grants the Supreme Court the power to review its own judgments or orders.
- **Article 226** – Gives High Courts the power to issue writs for the enforcement of Fundamental Rights and other legal rights.

Thus, through these Articles, the judiciary ensures that no law, amendment, or action can disturb the Fundamental Rights or destroy the basic structure of the Constitution.
